कार्यालय मध्य वृत्त, वन विभाग, रेल्वे स्टेशन रोड, जबलपुर (म0 प्र0) – 482 001

दूरभाष–0761–2624341, ई–मेल ccf.jbp@mp.gov.in

क्र0 / मा0चि0 / 6421 जबलपुर, दिनांक 30/09/2022

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल
जबलपुर।

विषय :– डिण्डौरी एवं जबलपुर जिल में जबलपुर–कुण्डम–शहपुरा–डिण्डौरी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 45 के चौड़ीकरण एवं बायपास निर्माण हेतु वनमण्डल डिण्डौरी की 8.456 हे0 एवं जबलपुर वनमण्डल के 22.555 हे0 कुल 31.011 हे0 वनभूमि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग जबलपुर को उपयोग पर देने बावत् ।

संदर्भ :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–5 / 1105 / 2022 / 10–11 / 2840 दिनांक 17.08..2022 एवं कार्यालयीन पत्र पृ0 क्रमांक / मा0चि0 / 5811 दिनांक 12.09.2022

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें । विषयांकित प्रकरण में वनमण्डलाधिकारी, कटनी द्वारा 26.00 हे0 वनक्षेत्र का वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत की गयी हैं । उक्त योजनाकी तकनीकी स्वीकृति जारी कर योजना की एक प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न हैं ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार। Email से।

(कमल अरोरा, भा0व0से0)
वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

पृ0 क्र0 / मा0चि0 / 6422 जबलपुर, दिनांक 30/09/2022

प्रतिलिपि :– 1. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, कटनी की ओर उनके पत्र क्र0 / मा0चि0 / 5976 दिनांक 29.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, डिण्डौरी की ओर कार्यालयीन पत्र पृ0 क्रमांक / मा0चि0 / 5811 दिनांक 12.09.2022 के संदर्भ सूचनार्थ ।

वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर
30/9/22

कार्यालय मध्य वृत्त, वन विभाग, रेल्वे स्टेशन रोड, जबलपुर (म0 प्र0) – 482 001

आदेश

क्रमांक/व्यय/62 जबलपुर दिनांक 30/10/2022

जबलपुर–कुण्डम–शहपुरा–डिण्डौरी मार्ग (रा.रा.45) निर्माण हेतु जबलपुर वनमण्डल के अंतर्गत जबलपुर परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक ओ–558, कुण्डम परिक्षेत्र के कक्ष क्र0 पी0 333, पी0 334, पनागर परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक ओ0–417, ओ0–418, पी0–69, पी0–70, पी0–71, आर0एफ0 82 कुल 22.550 हे0 एवं डिण्डौरी वनमण्डल के अंतर्गत शहपुरा परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक आर0एफ0 35, ओ0–1119,ओ0–1249, डिण्डौरी परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक आर0एफ0 194, 245 शहपुर परिक्षेत्र के कक्ष क्र0 ओ0–1345 कुल रकवा 8.456 हे0 वनक्षेत्र कुल 31.006 हे. वनक्षेत्र का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन हेतु कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, संभाग जबलपुर द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में जबलपुर, कटनी एवं डिण्डौरी वनमण्डलों से प्राप्त 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार स्वीकृत की गयी थी ।

वनमण्डल	तकनीकी स्वीकृति क्र0 व दिनांक	परिक्षेत्र	बीट	कक्ष क्र0	अवधि	रकवा (हे0 में)	अनुमानित राशि (रूपये में)
जबलपुर	142 24.12.2021	बरगी	बरगी	ओ0–494	2022–23 से 2032–33	25.00	1,07,79,903.00
कटनी	143 24.12.2021	विजयराघवगढ	सेमरिया	69		23.00	92,46,446.00
डिण्डौरी	136 17.12.2021	शहपुरा	बिजौरी	37		17.00	95,08,723.00

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–5/1105/2022/10–11 /2840 दिनांक 17.08.2022 के अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा पुनः उक्त मार्ग का निरीक्षण करने पर जबलपुर वनमण्डल के 22.555 हे0 वनभूमि के स्थान पर 4.50 हे0 वनभूमि प्रभावित होने से प्रस्ताव में प्रभावित वनक्षेत्र कम होने के कारण उपरोक्त तकनीकी स्वीकृति निरस्त की जाती हैं ।

(कमल अरोरा, भा0व0से0)
वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

आ0/क्र0/व्यय/63 जबलपुर दिनांक 30/10/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के उक्त पत्र के अनुसार उपरोक्त प्रकरण में प्रभावित वनक्षेत्र 22.555 हे0 के स्थान पर 12.956 हे0 वनक्षेत्र प्रभावित होने के कारण कार्यालीयीन पत्र क्रमांक/मा0चि0/5810 दिनांक 12.09.2022 से 26.00 हे. दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना भेजने हेतु वनमण्डलाधिकारी कटनी को लेख करने पर उनके द्वारा पत्र क्रमांक/मा0चि0/5976 दिनांक 29.09.2022 से इस कार्यालय को प्रेषित 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना का प्राकलन का

परीक्षण करने तथा वनमण्डलाधिकारी कटनी द्वारा की गयी अनुशंसा उपरांत म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के पत्र क्र0 / 1194 / 191 / 2022 / नियम / 4 / दिनांक 14.07.2022 के माध्यम से म0प्र0 बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 के भाग–2 के अंतर्गत अनुक्रमांक 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती हैं :–

वनमण्डल	परिक्षेत्र	बीट	कक्ष क्र0	रकवा (हे0 में)	अवधि	अनुमानित राशि (रूपये में)
कटनी	विजयराघवगढ़	सेमरिया	69	26.00	2022–23 से 2032–33	94,48,569.00

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन हैं :–

(1) इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये हैं । यदि प्रस्तावों में कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराऐं। इस स्वीकृति के अधीन उक्त कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेगें, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न कराया जावें ।

(2) कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावे । स्थल किसी योजना के कार्य हेतु ओवरलेप न हो ध्यान रखा जाये इसकी जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन / संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा ।

(3) कोई भी सामग्री क्रय करते समय मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन करेंगे।

(4) किसी भी प्रकार के परिवर्तन स्थल / प्रोजेक्ट में उल्लेखित कार्यो के परिवर्तन की दशा में पुनरीक्षित तकनीकी जारी करायेगें ।

(5) कार्य प्रारंभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी0पी0आर0 तैयार कर कार्य प्रारंभ करायेगें ।
उक्त निर्देशों के अभाव में तकनीकी स्वीकृति स्वयं निरस्त मानी जावेगी।

(कमल अरोरा, भा0व0से0)
वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

पृ0क्रमांक / मा0चि0 / 6420 — जबलपुर, दिनांक 30/09/2022

प्रतिलिपि :– 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) म0 प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ सप्रेषित ।

2... अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म0 प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ सप्रेषित ।

3 वन मण्डलाधिकारी, जबलपुर की ओर कार्यालयीन पत्र क्र0 / मा0चि0 / 10032 दिनांक 24.12.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ।

4. वन मण्डलाधिकारी, कटनी की ओर कार्यालयीन पत्र क्र0 / मा0चि0 / 10033 दिनांक 24.12.2021 एवं आपके पत्र क्रमांक / मा0चि0 / 5976 दिनांक 29.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ।

5. वन मण्डलाधिकारी, डिण्डौरी की ओर कार्यालयीन पत्र क्र0 / मा0चि0 / 9804 दिनांक 17.12.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ।

वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर
30/09/22

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का उपवनमंडल अधिकारी पूर्व कटनी एवं परिक्षेत्र अधिकारी विजयराघवगढ़ द्वारा निरीक्षण किया गया है। एवं उनके निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पायी गई है। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो/वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। मैं उनके प्रतिवेदन से सहमत हूं।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमंडल कटनी

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आ.क्रं. 63 दिनांक 30/9/22 द्वारा जारी की गई।

वन संरक्षक
मध्य वृत्त, जबलपुर